

Ref.:...TBCPL/HR/17-18/258

To Whomsoever It May Concern

This is to certify that **Mr. Jitendra Kumar Singh**, S/o Shri Inder Deo Singh, is working with us as a "**General Manager**" from 22nd June, 2006 to till the date...

During his tenure with us, he handled major responsibilities and we found him hardworking and very productive.

We wish him all the success in the future.

Thanking You.

For telling culture Building Centre Pvt.Ltd



Corporate Office :- 417 & 419, 4th Floor, Ashiana Towers, Exhibition Road, Patna - 800001



AFFIDAVIT

I, Sri. VINAY KUMAR TIWARY, M.D., M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd., having office at Room No-518/519, 5th floor, Asiana Trade Centre, Aditypaur, Distt.-Seraikela Kharswan, do hereby solemnly affirm and declare follows:-

- 1. That we are the Directors and authorized persons of M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd. having our office situated at- Room No-518/519, 5th floor, Asiana Trade Centre, Aditypaur, Distt.- Seraikela Kharswan,.
- 2. That our company has movable and immovable properties worth about more Rs. 50,00,000/-(Rupees Fifty lakhs). than
- 3. That I swear this Affidavit to confirm the above facts and submit before the authority concerned.

VERIFICATION

on this today at Jamshedpur.

Identified by -

The statements made above are true to the best

of my knowledge, belief & information and I sign

Sri D. Sarkar,

Advocate, Jamshedpur

Ame KUMAR BH

BURIIB ghbhum, Reg. No.2842 (J)

Hatkhand, JSR. (INDIA)

Vinany Kun Simy

DEPONENT

Identified by me

ADVOCATE 23, 5, 18.



DEVELOPM. NT AGREEMENT

JUDICIAL

witness.

अरतीय गेर न्यायिक

एक सौ रुपये

ARKHAND

INDIA N

Rs. 100


ONE

UNDRED RUPEES

A 679039

Signed / Put L.T.I. In my

THIS DEED OF DEVELOPMEN AGREEMENT is made on this May of Market and Agreev Prasad, Both sons of Late Raghunath Prasad 2.) Kuma Rajeev Prasad, Both sons of Late Raghunath Prasad, by faith Hindu by Nationality Indian, by occupation Service, resident of Road No. -6 Or. No. 21, Firm Area Kadma, within P.O. & P.S. Kadma, Town Jam: edpur, District East Singhbhum, hereinafter called the FIRST PAR Y LAND OWNER (which expression shall unless, excluded by or reagnant to the context, or the meaning thereto mean and include his heirs, successors, executor feed to presentatives and assigns) of One Part;



M/S Technoculture Building Centre Private Limited. A Private Limited Company. a Company incorporated under Indian Companies Act, 1956, having its Office at 518, 519 Ashiana Trade Centre Adityapur -1, represented by its Executive Director Mr. V.V.R.Ram Prasad S/o Sri V. Kali Prasad, resident by its B-1/8 Jai Brabha Complex, Kadma, Jamshedpur hereinafter called the SECOND PARTY/DEVELOPER (which expression shall unless, excluded by or repugnant to the context, or the meaning thereto mean and include its heirs, successors, successors-in-office, administrators, legal representatives and assigns) of the Second Part ;

Witnesseth as follows:-

Whereas the First Party is the owner of homestead land and everything standing thereon measuring area 0-78-80 Ha. in Plot No 1771, 1772, 1675 & 1816 Khata No185, situated at Mouza KULUPTANGA, Thana No. 130, ward 17, P.S RIT Adityapur, District Seraikella, which they inherited being the legal heirs of Late Raghunath Prasad who is the recorded owner of the schedule below lands and they have been in peaceful physical possession over the same without any interruption from any corner; And It is further represented and declared by the Owner::

Signed / Put L.1 Date: (umar That the said property is under their possession with absolute right, title and interest free from all encumbrances, to transfer and convey the whole or part of the said property having a fully marketable title thereby.

:3:


Kumen Jacob

er mesh

i)

- That the Owners has not created any encumbrances on the ii) said property or any part thereof by way of sale, mortgage, exchange lease, trust, assignment, rights, gifts, liens, leave license, permission, rent, possession, charges, and inheritance or any other encumbrances whatsoever.
- That no notice or notification for acquisition/requisition iii) under any of the statutes of the past or presently in force, have been received, saved or passed by the Income Tax Department or any other Government Authorities for acquisition or requisition of the said property or any part thereof.
- That there are no attachments, either before or after iv) judgment and there are no claims, demands, suits, decrees, injunctions, orders lispendences, notices, petitions, or adjunctions orders affecting the said property or any part thereof.





That apart from the owners, no one else is entitled to or has any share, right, title, or interest over and in respect of the said property or any part thereof.


v)

vi) That the owner has not entered in the past into any Agreement for Sale or Development of the said property or any part thereof nor has made any arrangement with anyone whatsoever regarding the said property or any part thereof.

And whereas, the Owner is interested in getting Multi Storied Building consisting of Basement, ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, and / or any upper floors as sanctioned by the concerned authorities, on the land with structure measuring 0-66-30 Ha, in Plot No.1772,1675 & 1816, Khata No.185, situated at Mouza KULUPTANGA,Thana No-130, ward 17, P.S. RIT Adiypuar, District Seraiklla, AND

Whereas, the owner/first party is desirous of getting a duplex measuring 1200 sft and Rs. 64,55,000=00, (Rupees Sixty four lakh fifty five thousand only) as share in the built-up-area of the multistoried building consisting duplexes, flats, shops, office etc. from the Developer; And






Whereas, the Developer/second party has come to know the desire of the owner/first party and after verification all the relevant papers including title deeds, mutation, rent receipts etc. and offered to develop Multi Storied Building over the said land more particularly described in the schedule below ; A n d

Whereas, as a result of the negotiations between the parties hereto and on the representation and declaration made by the as herein recorded an Agreement for Development of the said property by the aforesaid Developer has been arrived at between the parties hereto upon terms and conditions hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENTS WITNESSETH AND IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

 The Owner hereby appoint the aforesaid Developer as the Developer of the said property and grant to the Developer who hereby accept from the owner, right to develop the said property in






the schedule hereunder written in the manner and on the terms, conditions, and stipulations hereinafter mentioned.

- 2) Immediately after the execution of this Development Agreement the Developer shall proceed expeditiously with preparation of the plans and drawings for the said shop-cumresidential multistoreyed building.
- 3) The owner shall have no objection if the aforesaid Multistoried building plans is submitted to the Aditypaur Notified Area Committee in the name of owner or any other permission, approval is obtained in his name and agree to sign all such papers that may be deemed necessary by the Developer for the same. However all fees, costs, charges and expenses relating to such approvals/sanctions, shall be borne by the Developer.
- 4) The contents agree to sell, convey, transfer and / or assign to the Developer and/or its nominees, the said property is free from encumbrances, attachments and on the terms and conditions mentioned hereinafter.
- 5) That Developer agrees to construct at its own cost and will part with the agreed consideration settlement to the first party within 2 years of getting approvals from the concerned authorities.





6) The owner shall at no time demand further sum or premium or any interest in any dealing regarding sale of Developer Area and the owner shall execute all such deeds and documents as may be required by the Developer in this regard.


paubi

ろと

Date

- 7) This agreement shall not ever be deemed to constitute a Partnership of any sort between the parties hereto.
- 8) The Owner hereby and from the date of execution of this Agreement put the Developer in actual peaceful possession of the said property more fully described in the schedule herein to enable the Developer to take up, proceed with the Development Planning, and construction of the said Shop-cum-Residential Multi Storied Building in terms of this Agreement.
- 9) The Owner hereby irrevocably undertakes not to sell, dispose off, alienate, charge, encumber, lease or otherwise transfer the said property or any part thereof during the currency of this Agreement and undertake not to do any act, deeds matter or things as shall be in breach of the terms of this Agreement save and except putting the Developer in possession thereof for the purpose of Development pursuant to this Agreement. The owner shall at no point of time during the currency of this Agreement try to dispossess the Developer from the said property.








10) The Developer shall develop the said property at its own name and account and its own cost and shall alone be responsible for the development of the said property and neither the owners nor any persons claiming through the owners shall have not have any right or interest in the Development of the said property.

- 11) That As after the date hereof the Developer shall be deemed to be in possession of the said property and shall be free to do all acts, deeds and things required for development and construction of the said Building at the Developer's own cost and expenses within two and half years from the date of execution of this agreement without fail.
- 12) The Developer shall be entitled to develop the said property by constructing thereon multi-storied building according to approval of Building Plan granted by Aditypaur Notified Area Committee and any other laws are time being in force by the State Govt. or local authorities.
- 13) The Developer shall be entitled to enter into Agreement for Sale or otherwise allot shops/flats/offices/parking spaces and other tenants whenever required by the Developer, the owners will join as <u>confirm party</u> in all such agreements, sale deeds, deeds of allotment etc. that the Developer may enter into and shall exclusively be entitled to realize all amount receivable under such agreement, sale deeds, deeds of allotment etc. and






the Owner shall also be entitled to sell, lease, gift his share of property to the Purchaser or any other person or persons as the Owner thinks fit and proper for such if requires the Builder/Developer, may join as a party in the conveyance deed for the purpose of transferring better title to the purchaser or purchasers.

14) The **Owner agrees** and undertakes that he shall execute and give **General Power of Attorney in favour of the Developer**/and/or its nominee or nominees so that no hindrance of obstruction is caused to the Developer in carrying out and discharging its obligations under these presents to have and enjoy peaceful possession of the said property and to do all such acts and/or things that may be necessary for the development planning, construction of the said Multi Storied Building and sale of the **Developer Area as well as the owner Area.** It is however expressly agreed and understood between the parties that the aforesaid General Power of Attorney shall be governed by the provisions of this Development Agreement the provisions of the later shall prevail.





15)

THE DEVELOPER FURTHER UNDERTAKE

paulois

Oate:.


i) To indemnify the Developer and always keep them indemnified and harmless in respect of all claims, damages, compensations or expenses payable in consequences of any injury or accident sustained by any workman artisan or invitees or other persons in the property whether in the employment of the Developer or not while in or upon the said property and during the period of construction of the said colony thereon.

16) THE OWNER FURTHER UNDERTAKES AND DECLARES THAT :-

The Developer shall have the right to create **equitable or otherwise** any legal mortgage on the said property including construction thereon, in respect of it entire share, for obtaining loan for itself or for the prospective buyers of flats, Offices etc. in the aforesaid Multistoried Building to be constructed on the said property.

17) The Developer shall be entitled to receive and retain all necessary documents 'xerox copies' of original of the owners' title deed to the said property and in such event the Developer undertake to keep the said title deeds, safe, harmless and unobliterated and the owners will be entitled to inspect and to have the same produced for inspection and take extracts there from whenever required.





18) It is agreed that in all transfers/conveyance of land and/or built up area, the purchaser/s, transferee shall bear the cost of stamp duty, court fees, and other Registration charges.

gned / Put

Date

19) It is mutually agreed between the Developer and the land owner that the top roof will always belong to the first party / land owner.

20) In case of any dispute or differences between the parties arising out or relating to this Development Agreement, the same shall be settled by reference of the dispute or difference to the Arbitrators appointed by both the parties and such arbitrations shall be conducted under the provisions of the Arbitration and Reconciliation Act, from time to time.

"SCHEDULE"

All that Raiyati homestead land & everything standing thereon in the Mouza Kuluptanga, within P.S. RIT, Thana No.130, Ward No.17, ANAC, Town Adityapur-Jamshedpur, District Seraikela-Kharsawan, recorded under Plot No 1772,1675 & 1816 of Khata 185, situated at Mouza KULUPTANGA, Thana No. 130,Ward-17(ANAC), P.S. RIT Aditypaur, District Seraikella,



which measuring 0-66-30 Ha. within town Jamshedpur, Dist. Seraikela-Kharsawan, which is bounded as follows:-

North : Owner Nij

South : Late Jagpati Das;

East: Plot nos.;

West: Late Jagpati Das;

In Witnesses Whereof the parties have signed this Agreement today at Jamshedpur on the date aforementioned.

Witnesses:-

2)

1) Dunden per gol

Remar Rajir Presad

Signature of the First Party

round

Signature of the Second Party

Drafted, read over and explained the contents of this Development Agreement to the parties in Hindi who found and admitted the same to be true and correct.

Advocate

THEOLEN LIE OLYMPICTO UN Executent/Executants, who Signed out L.T.I., In Presence of Sri. Advocate Netrict Court, Ja: hedpur and alar dentified by him


Esta	blis	hment	Details
------	------	-------	---------


1	Establishment ID	JHJAM0014383000	JAM0014383000									
2	Establishment Name	TECHHO CULTURE BUILDING CENTRE	HHO CULTURE BUILDING CENTRE									
3	Under EPFO Office	JAMSHEDPUR	HEDPUR									
4	PF Exemption Status	Un-Exempted [LIN :1786105170]	EDLI Exemption Status	Un-Exempted								
5	Pension Exemption Status	Un-Exempted	rempted									
6	Address	45, THAKURBARI ROAD, 2ND FLOOR,, SAKCHI, JAMSHEDPUR, Dist: PURBI SI	THAKURBARI ROAD, 2ND FLOOR,, SAKCHI, JAMSHEDPUR, Dist: PURBI SINGHBHUM, State: JHARKHAND, Pin: 831001									
7	PAN	[Not Verified]	Name as per PAN									
8	Coverage Section	0001(3)(b)	Coverage Date	28-FEB-05								
9	Establishment Status	LIVE ESTABLISHMENT	Establishment Type	PROPRIETORY FIRMS								
10	Primary Email Id	brajeshjsr@rediffmail.com	Primary Mobile	7488535255								
11	Phone	Not Available	Fax	Not Available								

Active Signatory List

	Name	Designation	Mobile	Email	Effective From	Effective Till	Signature Status	View
1	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	9234752156		14-MAY-2013	14-MAY-2015	APPROVE OR REJECTED BY RO	0
2	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	7488535255		14-MAY-2013	14-MAY-2015	AUTO REJECTED APPROVED CASE	0
3	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	9234752156		27-MAY-2015	27-MAY-2017	ACTIVE	8
4	SUSHMA KUMARI	DIRECTOR	9234752156		22-JUN-2017	22-JUN-2019	ACTIVE	8

Designed, Developed and Hosted by: Employees' Provident Fund Organisation, India Last Updated Tue Sep 05, 2017 (PV 1.1.29)






Both by Faith Hindu, by Occupation Service, by Nationality Indian, Resident of Qtr. No. 21, Road No. 4, Farm Area, Kadma, P.S. Kadma, Town Jamshedpur, District East Singhbhum, State Jharkhand, do hereby nominate, constitute and appoint Mr. V. V. R. RAM PRASAD son of Sri V. Kali Prasad, by Occupation Service, by Faith Hindu, by Nationality Indian, Resident of Vastu Vihar – 26, Baliguma, P.S. M.G.M (Mango), Town Jamshedpur, District East Singhbhum, and State Jharkhand to be our lawful constituted attorney in our names and on our behalf to do all or any of the following acts, deeds and things hereinafter mentioned.

Be it noted that as we are unable to personally attend the affairs of our landed property more fully described in the schedule below.

WHEREAS, the schedule below land has been recorded in the name of Raghunath Prasad (now deceased) son of Gouri Shankar Prasad {the father of the present Executants / Principals} in the khatian in the survey settlement as per the records of the State Government, And as the recorded owner died leaving behind the Executants / Principals (two sons) as his only legal heirs and successors and they were in peaceful physical vacant possession over the same without any interruption from any person or corner, thereby enjoying with all their right, title and interest over the same and they are entitled to empower the attorney as they are the lawful, absolute and bonafide owner of the same.

Now, we do hereby authorize and empower my said attorney to do things and acts in my name and on my behalf as my Constituted Attorney with respect to the schedule below property.

1. To look after, manage, conduct and maintain the said landed property or any part thereof and to protect and defend our legal interest thereto till its disposal.



2. To appear in all courts, Offices and in any other Offices of the Government or Semi Government or any Local Authority thereof relating to the said landed property, to represent us before Office of Anchal Adhikari, L.R.D.C., J.S.E.B., A.N.A.C / AIADA, and any other Registering or Competent Authority.

3. To sign, execute, swear, and deliver any paper application, petition, form, objection, or no objection, agreement, document, affidavit, indemnity, plan and plans, drawings, notice, acknowledgement, Vakalatnamas, all required papers etc. and to submit the same before any such Court or Office.


4. To enter into agreements with the various intending buyer/s on such terms and conditions as our above attorney thinks fit and proper.

5. To take all steps for safeguard of my interest thereto and to file any suit or case and/or to defend any suit or case and to appoint advocate, legal representative and to verify, sign and submit any paper, show – cause, other papers etc. and to place the same before any such office or department on our behalf.

6. To enter in any other documents under conveyance and/or to execute any paper, affidavit or document etc. to and in favour of such buyers and to get such document registered in proper court of law.

7. To contest and/or compound and/or compromise any suit or case with the opposite party in respect of the said land or part thereof on such terms as our attorney may thinks fit & proper.

8. To apply and obtain certified copy of the order, decree or judgment passed by any court or office for record and reference and/or to refer the same for higher arbitration or appeal against order of the lower court or office.



9. To sign and execute the deed of transfer by way of sale or any other documents under conveyance in respect of the said land described in the said schedule hereunder written or part thereof in favour of various intending buyer/s and to present such deed or deeds for registration before the registering authority and admit execution of the same for us and on our behalf to do all necessary acts, deeds, & things for completing the registration thereof and to endorse the registration receipt/s.

10. Generally to do all acts deeds and things for all intents and purposes as stated herein.

We, hereby agree to ratify and confirm all acts, shall lawfully do, execute or perform and/or cause to be done, executed and performed by our said attorney by virtue of these presents.

We, the principal said Ramesh Kumar Prasad & Kumar Rajeev Prasad have executed this General Power of Attorney in favour of Mr. V. V. R. Ram Prasad without taking any consideration money, and we will only receive the consideration money through cheque or cash before selling the schedule below property to any other person or party through our attorney.

SCHEDULE

All that piece and parcel of raiyati land measuring an area 0.66.30 Hectare i.e. – 163.76 Decimals i.e. 1.637 Acres approximately, Situated in Ward No. 17, Thana No. 130, within Mouza Kuluptanga, Adityapur 2, P.S. RIT (Adityapur), under the District Sub Registry Office at Seraikela, District Seraikela Kharsawan, and State Jharkhand, recorded under:

Khata No.	<u>Plot No.</u>	Area
New 185 Old 81	New 1772 Old 588	0.15.00 Hectare
North: Plot No. 173	1,	South: Plot No. 1773 & 1830 (Part),
East: Plot No. 176	58, 1769, & 1830,	West: Plot No. 1675

Emethemon 2.	:::: Junar Rafur Insee 2 ulizilii 2 ulizilii
New 185 Old 81 New 1675 Old 588	0.16.30 Hectare
North: Plot No. 1731,	South: Plot No. 1773,
East: Plot No. 1772,	West: Plot No. 1674 & 1676.
New 185 Old 81 New 1816 Old 742	0.35.00 Hectare
North: Plot No. 1822, \$ 1821	South: Plot No. 1815,
East: River,	West: Plot No. 1823. #1814
Total Area measuring	0.66.30 Hectare

The annual rent payable to the landlord i.e. The State of Jharkhand through Circle Officer, Gamharia.

In witness whereof the Executants / Principals has hereunto set and subscribed their hands on this General Power of Attorney on this the 24th day of December, 2011, at Jamshedpur.

Read and found correct:

Ramen kimon Prus

AVIJIT MANDAL Enrollment No.-14/2010 (Ad Drafted by: Court)



J.V.V

Certificate:

WITNESSES:

1. Manprit Age

2. Rajiv Kumor.

Printed by: A. Muly

Jamshedpur Court.

It is certified that the finger prints of left hand of each persons whose photograph is affixed in the document have been obtained before/by me.



निबंधन विभाग, झारखंड जमशेदपुर

जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: 8								Token Da	te/Time: 2	4/12/2011 13:23:32
Document Ty Presenter' Na Stampable Do Document Va Special Type	me & Addres oc. Value lue	55	Power of At Q.No.21, Rd 0 0	I.No.4, Farm	Presenter Area, Kadr DOE Stamp Valu Serial No.	na,Ps.Kadn	n Kuma na,Jsr	ar Prasad Date of Total Pa Book CNO/PI	Entry 2 ages 1	24/12/2011 4 V
Remarks / Otl	ails:									
Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No	. Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
							1000			G

Other Property Details	:						
Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount

SN	P Type	Dorty Maria		A STATE OF A STATE		PAN/F		
	Fiype	Party Name	Father/Husband	d Occup.	Caste	60	Address	
1	PRINCIPLE	Ramesh Kumar Prasad	Raghunath Prasa	ad Service	Other		q.no.21, rd.no.4, farm area, kadma,ps.kadma,jsr	
2	PRINCIPLE	Kumar Rajiv Prasad	Raghunath Prasa	d Service	Other		Q.No.21, Rd.No.4, Farm Area, Kadma,Ps.Kadma,Jsr	
3		V.V.R.Ram Prasad	V.Kali Prasad	Service	Other		vastu vihar 26, baliguma, ps.mgm.mango.jsr	
4	Identifier	Manprit Singh	Satwant Singh	Service	Other		punjabi line,mango.jsr	
5	Witness1	Manprit Singh	Satwant Singh	Service	Other		Punjabi Line, Mango. Jsr	
6	Witness2	Rajiv Kumar	Gandhi Mahato	Business	Other		2/4, basera appt. sonari,jsr	
ee D	etails:					0		
SN	Descriptio	n		Amount		Kam	ehkunon Presod	
Sugar-	E			1,000.	00	iccom.	en a un one 1 inse	
	SP			210.				
otal	and the second			1,210.	00			

उपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप है |

निबंधन पूर्व सारांश में इंपूट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्रि की गई है |

प्रस्त्त का हस्ताक्षर डाटा इंट्रि ऑप्रेटर का हस्ताक्षर

जिसकी पहचान.....पिता...रेन ? न nE पेशा..... की | 21117 निबंधन पदाधिकरी का हस्ताक्षर



निबंधन विभाग, झारखंड जमशेदपुर


Token No.8 Token Date: 24/12/2011 13:23:32 Serial/Deed No./Year :10032/1938/2011 Deed Type: Power of Attorney

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	Ramesh Kumar Prasad Father/Husband Name:Raghunath Prasad (PRINCIPLE) q.no.21, rd.no.4, farm area, kadma,ps.kadma,jsr	CO.	
2	Kumar Rajiv Prasad Father/Husband Name:Raghunath Prasad (PRINCIPLE) Q.No.21, Rd.No.4, Farm Area, Kadma,Ps.Kadma,Jşr		
3	V.V.R.Ram Prasad Father/Husband Name:V.Kali Prasad (ATTORNY) vastu vihar 26, baliguma, ps.mgm.mango.jsr		
4	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Identifier) punjabi line,mango.jsr	R	
5	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Witness1) Punjabi Line,Mango.Jsr	×	×
6	Rajiv Kumar Father/Husband Name:Gandhi Mahato (Witness2) 2/4, basera appt. sonari,jsr	×	×

Book No.		IV		
Volume		49		
Page	329	То	342	
Deed No	10	032/193	38	
Year		2011		
Date	24/12/2	2011 13	:44:55	
			\wedge	
	District S	ub Regi	strar mint	, , ,

Signature of Operator

"10 51	Nutation Case No. in Register 27	V∭age'	Thank and Thana No.	No of Tenancy to Which the Mutation Relates	Subdivision Authority Senctioning Mutation With Date of Order	Whether Mutation Due to Sale Gift Ex- change Parition or Succession	Anchai-Gamhana	Halka No." Date of Correction of the Halka Register by the Kit	Romarka
	2	2	4	5	6	7	ä	9	10 1
	1102-01048hg	रार्ट्य देखे	क्षरायकेला -130 वर्षट-17	ara 70-N-61	अचल अधिकारी गम्हरिया दिनाक-	त्तीत म॰ 1962 - 13-4-20	खाता न० प्लोट न० रक्तवा वार्थिक लगान <u>NI-GI N-1688</u> 22.559 176.00 % 0-19 0-587 N-1753 3111 0-587 27 11 N-1755 82.550 उपरवित मूर्गि रंजा 11 पृष्ट स029/31 के विकेता श्री रोमाजाचा, रेगाआजाचा जिंक भी०भी० सार केता श्री में रेन्न ले1 कटन भी०भी० सार केता श्री में रेन्न ले1 कटन	VoL-III स्र जागपति दास रि काली प्रसार बरू वील्डीम सन्द न्द्र देव सिंह स्ता	प्रार पावर प्राप्न मिक्रेन र प्रार्थित अल्म स्म ग्जीव्स्म 15
ton ton	T, HTIN	े में	ilha No Zotoj c	म्ल्यर् (<u>স</u> পিন্ডোচ্য ক	EC STOWIG	mation and Necessary Action भरिषाह स्तिष्ट्रकु विद्धााage पानु वि केरा इन्ट्रेस्य सिंह	नेहार, वरत्वीशुमा इ	Anchai Adhikari Gamaria



10 Authorised ANTU SU NO DEED WRITER For Technoculture Building Centre Pvt Ltd. SERAIKELLA-KHARSAWAN Desember pour 13/4 Authorised Signatory Certified that the parties whose photographs are affixed herewith is attested by me and the finger prints of all the parties have taken by me. ANTU SUNDI 13 4 01 DEED WRITER LICENCE NA 3063982 / Deed Writer SERAIKELLA-KHARSAWANKella. 13/4/010 Typed by

निबंधन विभाग, झारखंड सरायकेला

जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

occument Type resenter' Name trampable Doc. V occument Value special Type Remarks / Other	/alue Details	5	Sale Deed B/1/8, Jaiprabhu 4005000 4005000	I Complex, DO Sta	senter P.S. Kadr E mp Value ial No.		im Pra		Pages 24	4/2010
Property Details	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	0-19	O-587			OR_Don	22.5 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1688			OR_Don	0 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	O-19	0-587			OR_Don	31 Decimal	-
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1753			OR_Don	0 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	O-19	Q-587			OR_Don	27 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1754			OR_Don	0 Decimal	
GAMHARIA	130 *	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	O-19	O-587			OR_Tanr	2 Decimal	
GAMHARIA	130	17	ADITYAPUR NAGAR PARSHAD	N-61	N-1755			OR_Tanr	0 Decimal	
Other Property	Details:		1			Location		Area	Rate	Amoun
Property Type		Th. No	. Wrd Mauza			Location		Alea	11010	1.0000

SN	Details: P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F	Address	
1	VENDOR	V.V.R. Ram Prasad	V. Kali Prasad	Bus.	Other		B/1/8, Jaiprabhu Complex, P.S. Kadma, Jsr	
2	VENDEE	M/S T.B.C.Pvt.Ltd Rep By Dhirendra Kumar Singh	Indradeo Singh	Ser.	Other		Vastu Vihar,Baliguma, P.S. M.G.M Town Jsr	
3	Identifier	Manprit Singh	Satwant Singh	Ser.	Other		Mango, Jsr	
-	Witness1	Manprit Singh	Satwant Singh	Ser.	Other		Mango, Jsr	
4	CONTRACTOR STREET		Ramayan Pandey	Ser.	Other		Vastu Vihar, Baliguma, Jsr	
5	5 Witness2 Uma Shankar Pandey Ramayan Pand			Der.	Totaler			

ree Details.		Amount	
SN	Description		
1	LL	2.50	
2	P	0.94	
2	A1	40,050.00	
J.	SP	360.00	
4 Total		40,413.44	
Total			

N.N. P. Jan 10

उपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अन्रूप है |

निबंधन पूर्व सारांश में इंपूट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्रि की गई है |

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर डाटा इंट्रि ऑप्रेटर का हस्ताक्षर

mclindnigने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष M.M. उपरयुक्त स्वीकार किया han h2a.51 जिसकी me inv yid पहचान...वे की । CN निवासी निबंधन पदाधिकरी के हरताक्षर

Page 1 of 1



निबंधन विभाग, झारखंड सरायकेला

Token No.12 Token Date: 13/04/2010 15:46:17 Serial/Deed No./Year :1969/1962/2010 Deed Type: Sale Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	V.V.R. Ram Prasad Father/Husband Name:V. Kali Prasad (VENDOR) B/1/8, Jaiprabhu Complex, P.S. Kadma, Jsr	D	
2	M/S T.B.C.Pvt.Ltd Rep By Dhirendra Kumar Singh Father/Husband Name:Indradeo Singh (VENDEE) Vastu Vihar,Baliguma, P.S. M.G.M Town Jsr	×	x
3	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Identifier) Mango, Jsr	P	
4	Manprit Singh Father/Husband Name:Satwant Singh (Witness1) Mango, Jsr	×	×
5	Uma Shankar Pandey Father/Husband Name:Ramayan Pandey (Witness2) Vastu Vihar, Baliguma, Jsr	*	×

 Book No.
 I

 Volume
 69

 Page
 359
 To
 382


 Deed No
 1969/1962


 Year
 2010


 Date
 13/04/2010 18:49:58

District Sub Registrary

Signature of Operator







Seraikella.

Between :-

hasa

0

1814100

1) Ram Nath & 2) Shobha Nath both sons of Late Jagpati Das, both by Faith - Hindu, by Nationality – Indian, by Occupation – Service, resident of Baghbera Colony, Pradhan Tola, P.O. & P.S.- Baghbera, Town – Jamshedpur, Distt. – East Singhbhum, State – Jharkhand, through their duly constituted attorney to Sri. V.V.R. Ram Prasad S/O Sri. V. Kali Prasad, by Faith - Hindu, by Occupation – Business, resident of B/1/8, Jaiprabhu Complex, Kadma, P.S - Kadma , Town – Jamshedpur, Distt. – East Singhbhum, State –Jharkhand, under Registered G.P.A No. IV – 150, dated 06–02-2010. Registered at D.S.R.O. Jamshedpur, here-in-after Called the Seller of the ONE PART.



02DD 744204

3

1-N-N

AND

M/S TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PVT.

LTD. Office at Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No -518, 519, Adityapur – 1, Represented by its Project Manager Sri. Dhirendra Kumar Singh S/O Sri. Indradeo Singh, by Faith – Hindu, by Nationality – Indian, by Occupation – Service, resident of Vastu Vihar, Baliguma, P.O & P.S – M.G.M, Town – Jamshedpur, Distt. - East Singhbhum, State – Jharkhand, here-in-after called the Purchaser of the OTHER PART.



Whereas, the Schedule land situated at Mouza -Kuluptanga, A.N.A.C. Ward No. 17, P.S. – Adityapur, Thana No – 130, in Old Khata No. 19, Old Plot No. 587, Corresponding to New Khata No. 61, New Plot Nos. 1688, 1753, 1754, 1755, stands recorded in the name of the recorded tanent Jagpati Das along with some other lands during the revision survey as well as the current municipal survey of 1983.

·D·N

And whereas, aforesaid Jagpati Das died leaving behind his two sons namely 1) Ram Nath 2) Shobha Nath as his legal heirs and successors, have inheritated the schedule below property recorded under Old Kata No 19 corresponding to New-Khata No 61 jointly, and since then they have been in peaceful physical possession over the same.



4

And whereas, the said sellers are need of money for their personal emergent expenses, expressed their desire to sell the schedule below land at and for a total consideration of Rs. 40,05,000 /- (Fourty Lac Five Thousand) Only and the said purchaser on coming to know of the said intention of the said sellers, agreed to purchaser the same at the said consideration price free from all encumbrances, charges, Claim or demand what so ever.

NOW THIS DEED OF SALE WITHNESSETH AS FOLLOWS :

That in pursuance of the said agreement and in consideration f the sum of Rs. 40,05,000 /- Only paid by the said purchaser to the said sellers hereby acknowledge as having received ,they,the said sellers do hereby convey transfer and assign unto and to the use of the purchaser ,their heirs,executors,administrators and assigns all that land and property more fully described in the schedule below delivered possession to the purchaser on receipt of the full consideration amount.



And that the said purchaser shall hereafter peacebly hold use and enjoy the same as his own without any hindrance, interruption, claim or demand by or from the sellers or any other person whomsoever from first above noted day, month and the year and the said purchaser shall hereafter mutate the schedule land in his name and obtain rent receipt from Govt. Shirasta and authorities.

N. V. R. .




6 -

And it is hereby further declared that the said property hereby transferred is free from all encumbrance, charges and demand and that the said sellers have not done any thing hereby the property may be subject to any attachment or lien of any court or person whatsoever.

P.N

In witnesses whereof the said executant has hereto at seraikella put his hand this the day, month and year first above written in presence of witness.





Schedule

Mouza – Kuluptanga , A.N.A.C. Aditaypur Ward No. 17, Thana No. 130, P. S. - R.I.T.Adityapur , Distt. Sub-Regisrty Office at Seraikella , Distt.- Seraikella-Kharswan.

Khata No. 19(Old)/ 61(New)	Plot No. 587(Old)/ 1688(New)	Kissim Don-1	<u>Area</u> 22.5 Dec.
19(Old)/ 61(New)	587(Old)/ 1753(New)	Don-2	31 Dec.
19(Old)/ 61(New)	587(Old)/ 1754(New)	Don-2	27 Dec.
19(Old)/ 61(New)	587(Old)/ 1755(New)	Moti Arh	02 Dec.

झारखण्ड JHARKHAND

क सौ रुपये

হু. 100

All the plots have compact boundary :-

-8-

सत्यमेव जयते भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

North	:-	Plot No.1745 .	
South	:-	Plot No. 1687.	
East	:-	Plot Nos.1752,1756.	
West	:-	Proposed Road .	

Total Khata – 1, Total Plots – 4, Total Area – 82.5 Decimal (Eighty Two & Half Decimal)

CD

Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

NIN IL.

622596

Annual rent Rs. 10.00 payable to the State of Jharkhand through C.O. Gamharia.

U.L.C Case No. 347 /09-10. Dotad -09-02-10.

Don Area 80.5 Dec. @ 48,100 /- = 38,72,050 /-Taand Area 2 Dec @ 66,150 /- = 1,32,300 /-

Total = 40,04,350 /-

कार्यालय नगर परिषद्,आदित्यपुर

परमिट संख्या : 502

Gria: 30.3.1A

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr V.V.R.Ram Prasad S/o Mr. V.Kali Prasad Vastu Vihar-26 Baliguma, P.s- MGM (Mango), Town- Jamshedpur, Jharkhand.

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1675,1771,1772,1816 (पुराना) 588,742 खाता सं०. (नया) 185 (पुराना) 81 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 1572.94 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 196 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 280/एडीए दिनांक 07.04.2015 एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। के0 पी0 दुबे सरकारी अधिवक्ता सरायकेला खरसावाँ के पत्रांक 0 दिनांक 18.62015 द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। के0 पी0 दुबे सरकारी अधिवक्ता सरायकेला खरसावाँ के पत्रांक 0 दिनांक 18.62015 द्वारा भूमि से संबंधीत कानुनी सलाह प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुझप्तिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबंधन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा पत्रा है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री कौशलेश कुमार सहायक अभियंता एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिशद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1⁸ Floor (Residential) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :--

- ।. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- 2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।
- भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
- 4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना / प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राव्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञाप्तीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
- 5. भवन निर्माणकर्त्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगें।
- 6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञपिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- 7. भवन निर्माण में भवन के Front 3.50 मीo Rear 1.82 मीo Side 1 3.14 मीo तथा Side 2- 3.12 मीo छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा भवन की ऊँचाई रवीकृत 6.70 मीo Ground Coverage 55.84 % F.A.R 1.06 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज सिरटम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेंगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मीo का निर्धारित रथल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 8 सरकार/नगर परिशद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु0 अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन खल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगें तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगें साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
- 9 नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञपिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्त्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

- 11. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन0बी0सी0 दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिशद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।

- 13. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदुषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
- 14. अग्निशमन विभाग के पत्रांक 66 दिनांक 21.01.16 के द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा। साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसाीति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
- 16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगें।
- 17. निर्माणकर्त्ता / संवर्धन / स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलंडेंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सडक पर, सड़क के उपर खुलता हो।
- भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा। 18.
- निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एंव दूरभाश सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल,नगर परिशद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एंव भवन प्लान संख्या, निर्मार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एंव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एंव जल आपुर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों/उपस्करों के विवरण सहित)स्पश्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 21 विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
- 22. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/ सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रदद माना जाएगा।
- 23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांरण हेतु सुसंगत प्राक्धानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिष्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति खतः रद्ध माना जायेग। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगें।
- भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो 25 उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा। 26
- सेवाकर एंव वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। 27.
- परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। 28. जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
- 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
- भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञातिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के 30. साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तिय घाटे के लिएे नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वींकृत्यादेश रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य स्थि होगा

कनिय अभियंता नगर परिषद, आदित्यपुर

नगर परिषद, आदित्यपुर

502 ज्ञापांक

प्रतिलिपि : संजय कुमार अनुज्ञात्मिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक/ पदाधिव नगर परिषद्, आदिन

षद आ

दिनांक

कार्यालय नगर परिषद्,आदित्यपुर

Genias: 31.3.16

परमिट संख्या : 712

प्रेषित.

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr V.V.R.Ram Prasad S/o Mr. V.Kali Prasad Vastu Vihar-26 Baliguma, P.s- MGM (Mango), Town- Jamshedpur, Jharkhand.

सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में। विषय :

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) १६७५,१७७१,१७७२,१८१६ (पुराना) ५८८,७४२ खाता सं० (नया) १८५ (पुराना) ८१ मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 1511.03 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडों के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 196 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 280/एडीए दिनांक 07.04.2015 एव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। के0 पी0 दुबे सरकारी अधिवक्ता सरायकेला खरसावाँ के पत्रांक 0 दिनांक 18.6.2015 द्वारा भूमि से संबधीत कानुनी सलाह प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञातिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबधन सं0 AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एव तकनीकि जाँच श्री कौशलेश कुमार सहायक अभियंता एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिशद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1st Floor to 3rd Floor (Residential) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शत्तों पर दी

- 1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश खतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी
- प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू - स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा। 2
- भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत खामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा। 4.
- रवीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना / प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्रावधानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञात्तीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर
- भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञातिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे रवीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगें।
- निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षों का दायित्व संबंधित अनुज्ञाप्तिधारी अमियंता के साथ-साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- भवन निर्माण में भवन के Front 4.58 मीo Rear 4.58 मीo Side 1 4.58 मीo तथा Side 2- 4.58 मीo छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा 7. भवन की ऊँचाई स्वीकृत 12.00 मीठ Ground Coverage 47.81 %, F.A.R 1.91 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- सरकार/नगर परिशद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगें तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगें साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपरथापित करना अनिवार्य होगा।
- नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिष्टिवत करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञातिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश खतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था रवयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D.

11. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।

निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिशद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञातिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह रवीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।

- 13. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
- 14. अग्निशमन विभाग के पत्रांक 65 दिनांक 21.01.16 के द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा। साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसांति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
- 16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगें।
- 17. निर्माणकर्त्ता / संबर्धन / स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलंडेंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सडक पर, सड़क के उपर खुलता हो।
- 18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राक्धान रखना अनिवार्य होगा।
- 19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एंव दूरसाश संo. प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल,नगर परिशद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एंव भवन प्लान संख्या, निमार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एंव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एंव जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों/उपस्करों के विवरण सहित)स्पश्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को रवीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 21 विकासकर्ता/ संबर्धन/ स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
- 22 माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
- 23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांरण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार रखम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्ध माना जायेग। सरकारी / रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगें।
- 25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- 27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 28. परभिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
- 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपरथापित करना अनिवार्य होगा।
- 30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञपिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तिय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्यू-सूईी होग्रा।

3.10

कनिय अर्मियंता नगर परिषद, आदित्यपुर

+12

ज्ञापांक

नगर परिषद्, आदित्यपुर

कार्यपालक पदाधिका नगर परिषद्, आदित्यपुर 31.3.10 दिनांक ...

प्रतिलिपि : संजय कुमार अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

परमिट संख्या : 755

Gria: 6.4.16

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr V.V.R.Ram Prasad S/o Mr. V.Kali Prasad Vastu Vihar-26 Baliguma, P.s- MGM (Mango), Town- Jamshedpur, Jharkhand.

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1675,1771,1772,1816 (पुराना) 588,742 खाता सं०. (नया) 185 (पुराना) 81 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 892.16 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 280/एडीए दिनांक 07.04.2015 एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। के0 पी0 दुबे सरकारी अधिवक्ता सरायकेला खरसावों के पत्रांक 0 दिनांक 1862015 द्वारा भूमि से संबंधीत कानुनी सलाह प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञत्तिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निब्धंन संठ AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री कौशलेश कुमार सहायक अभियंता एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिशद आदित्यपुर की गई है तकनीजी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor +1[#] Floor to 3rd Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निग्न शर्तों पर दी जाती है :-

- भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- 2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।
- भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत खामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
- 4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना / प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की रिधति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राव्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञानीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
- 5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगें।
- 6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञात्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- 7. भवन निर्माण में भवन Front 3.50 मीo Rear 4.58 मीo Side 1- 3.65 मीo तथा Side 2- 4.58 मीo छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 12.00 मीo Ground Coverage 48.59 %, F.A.R 1.94 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्यूनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मीo का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 8 सरकार/नगर परिशद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन रथल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगें साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपरथापित करना अनिवार्य होगा।
- 9 नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश खतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था खयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।
 - (A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D
- 11. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन0बी0सी0 दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिशद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँव (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।
- 13. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
- 14. प्रत्येक तल पर पर्यात क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसांति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ–साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।

- भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy 16. Certificate प्रोप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगें।
- 17. निर्माणकर्त्ता / संवर्धन / स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलडिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा ४४४ का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सडक पर, सड़क के उपर खुलता हो। 18
- भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा। 19
- निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम,बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एव दूरभाश संठ, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल,नगर परिशद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एंव भवन प्लान संख्या, निमार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एंव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एंव जल आपुर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों/उपस्करों के विवरण सहित)स्पश्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को रवीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। ।
- विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा। 22.
- माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान
- 23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के खत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तारण हेतु सुसंगत प्राक्धानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की रिधति में यह अनुमति स्वतः रद्ध माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 24
- किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगें। 25
- भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। 26.
- भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा। 27.
- सेवाकर एंव वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। 28
- परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
- 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपरथापित करना अनिवार्य होगा। 30.
- भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञातिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तिय घाटे के लिऐ नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की

कनिय अभियंता

नगर परिषद्, आदित्यपुर

नगर परिषद्, आदित्यपुर

755 जापांक

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ज्ञारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के घारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यालय नगर परिषद्,आदित्यपुर

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोंक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1753 (पुराना) 587 खाता सं० (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In Plan 613.47 M² ए०एम०सी० होल्डींग नं० 130/15-16 पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्ररतावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञातिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबधन संठ AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री बलीराम पाण्डेय सहायक अभियंता (संविदा पर नियुक्त) एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा जांचोपरान्त भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने. के कारण Ground Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक रवीकृति निम्न शत्तों पर दी जाती

- 1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं खत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश खतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी रतर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- भवन प्लान की रवीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू रवामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा। 2
- 3.
- भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत रवामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
- र्स्योकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना / प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्रावधानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञाप्तीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है। 5.
- भवन निर्माणकर्त्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञात्विधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का
- 6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- भवन निर्माण में भवन Front 3.65 मीo Rear 4.87 मीo Side 1- 3.97 मीo तथा Side 2- 3.97 मीo छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा 7. तथा भवन की ऊँचाई रवीकृत 14.90 मी0 Ground Coverage 42.24 %, F.A.R 1.77 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्यनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा. तथापि भवन के पिछे 2.5 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- सरकार / नगर परिशद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन 8 करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा / झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन रथल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगें साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
- नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिष्टिवत करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञातिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा 'आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था रवयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

- 11. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन०बी०सी० दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12 निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिशद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञपिधारी अभियंता के रतर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह खीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।
- निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता 13.

दिनांक: 22.0615

- 14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसाीति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
- भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपन्न में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy 16 Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगें।
- 17. निर्माणकर्त्ता / संवर्धन / स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलडिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिपट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सडक पर, सड़क के उपर खुलता हो।
- भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा। 18. 19
- निर्माण रथल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम,बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एव दूरमाश संo, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल,नगर परिशद द्वारा नक्शा रवीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निमार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट रवीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा खीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एंव जल आपुर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों/उपरकरों के विवरण सहित)स्पश्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क़ेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। ।
- विकासकर्ता/ संवर्धन/ रथलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं खामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में 21 प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा। 22.
- माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/रारकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रदद माना जाएगा।
- विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांरण हेतु 23. सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति खतः रद्ध माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। 24 यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगें।
- 25. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- 27. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। 28. जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
- 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
- 30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तिय घाटे के लिऐ नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षनिपूर्ति का दावा मान्य नहीं झेगा।

20

कनिय अभियंता नगर परिषद, आदित्यपुर

सहायक अभियता (6) 5

नगर परिषद, आदित्यपर

ज्ञापांक 000

दिनांक 22 06/15 प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञपिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिष्चित किया जाय।

कार्यपलिक पदाधिकारी. नगर परिषद्, आदित्यपुर.

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद्, आदित्यप

Aul 15- 8

परमिट संख्या : 901

Grias: 22.06.15

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1754 (पुराना) 587 खाता सं०. (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 727.89 M² ए०एम०सी० होल्डींग नं० 128/15-16 पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञप्तिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निक्धंन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, रुथल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री बलीराम पाण्डेय सहायक अभियंता (संविदा पर नियुक्त) एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिशद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भावन मानचित्र की जाँच, रादित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता (संविदा पर नियुक्त) एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिशद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी जाती है :--

- भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- 2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।
- भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
- 4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की रिश्वति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राव्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञाप्तीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है. उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
- 5. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगें।
- 6. निर्माण की गुणवत्ता आरखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञात्तिधारी अभियंता के साथ—साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- 7. भवन निर्माण में भवन Front 3.65 मी0 Rear 5.18 मी0 Side 1- 4.58 मी0 तथा Side 2- 4.58 मी0 छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई रवीकृत 14.90 मी0 Ground Coverage 41.59 %, F.A.R 1.73 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक रट्टीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्यूनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी0 का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 8 सरकार/नगर परिशद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर संसमय उपरथापित करना अनिवार्य होगा।
- 9 नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञपिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D.

- 11. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन0बी0सी0 दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिशद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञातिधारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह खीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।
- 13. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

- 14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसांति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक. युविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबधित व्यवस्था तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिष्टिित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।

भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-रवामी एवं बिल्डर करेंगें तथा न

- 17. निर्माणकर्त्ता / संवर्धन / स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलंडेंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिपट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सडक पर, सड़क के उपर खुलता हो।
- 18.

भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राव्धान रखना अनिवार्य होगा। निर्माण रथल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम,बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एव दूरभाश संठ, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल 19. निर्मित क्षेत्रफल,नगर परिशद द्वारा नक्शा रवीकृत करने की तिथि एव भवन प्लान संख्या, निमार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एंव जल आपुर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों/उपरकरों के विवरण सहित)रपश्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को रवीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।

20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। ।

- विकासकत्तां/संबर्धन/रंथलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा। 22
- माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान
- विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांरण हेतु 23 सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार सद्यम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति खतः रद्ध माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर

किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति खयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। 24. यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद,

भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो 25. उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश खतः निरस्त हो जायेगा। 26.

- भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा। 27.
- सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। 28. जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा 29.
- भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। 30

भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञात्मिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने रतर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तिय घाटे के लिएे नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की .

2016

कनिय अभियंता नगर परिषद्, आदित्यपुर

सहायक अ नगर परिषद्, आदित्यपुर

कार्यपालक पदाधिकारी मगर परिषद, आदित्वप

901 ज्ञापांक ...

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के घारा 431 के तहत

कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, आदित्यपुर

20.06.15

परमिट संख्याः 903

दिनांक 93.06.15

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1753 (पुराना) 587 खाता सं०. (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 613.47 M² ए०एम0सी0 होल्डींग नं० 129/15-16 पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा. प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञातिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निब्धंन सं० AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, रचल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री बलीराम पाण्डेय सहायक अभियंता (संविदा पर नियुक्त) एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा जांचोपरांत्त भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor (Parking) + 1st Floor to 4th Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:---

- 6. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- 7. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।
- 8. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
- रवीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना / प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की रिश्वति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राव्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञानीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
- 10. भवन निर्माणकर्त्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगें।
- 6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग / भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्वं संबंधित अनुज्ञपिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- 7. भवन निर्माण में भवन Front 3.65 मी0 Rear 4.87 मी0 Side 1- 3.97 मी0 तथा Side 2- 3.97 मी0 छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई रवीकृत 14.90 मी0 Ground Coverage 42.24 %, F.A.R 1.77 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा संकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्यानिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मी0 का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 8 सरकार / नगर परिशद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु0 अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा / झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगें तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगें साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर सरमय उपरथापित करना अनिवार्य होगा।
- 9 नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञपिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D.

- 11. भुखण्ड के सामने चाहरंदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन0बी0सी0 दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12 निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिशद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञातिघारी अभियंता के रत्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।
- निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

- प्रत्येक तल पर पर्यात्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसांति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवरथा तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिष्टिवत करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को
- उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-रवामी एवं बिल्डर करेंगें तथा न 17.
- निर्माणकर्त्ता / संवर्धन / स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलंडेंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस
- 18
- भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा।

निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम,बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एव दूरभाश संठ, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल नगर परिशद द्वारा नक्शा रवीकृत करने की तिथि एवं भवन प्लान संख्या, निमार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिशद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेयजल एव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एवं जल आपुर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों / उपस्करों के विवरण सहित)स्पश्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को

- 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। ।
- विकासकर्त्ता / संवर्धन / स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि 22.
- पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान
- 23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तारण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार सद्यम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की रिथति में यह अनुमति खतः रद्ध माना जायेगा। सरकारी / रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश खतः निरस्त समझा जायेगा। 24
- किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगें। भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो 25
- उनके द्वारा पारित आदेश प्रमावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- भवन में समुचित क्षमतां का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा। 26
- 27.
- सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। 28
- जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञपिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वितीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तिय घाटे के लिऐ नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगान

0,0

कनिय अभियंता नगर परिषद्, आदित्यपुर

ज्ञापांक 903

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के घारा 431 के तहत

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, आदित्यपुर

0611-

कार्यपालक यदाधिकार परिषद, आदित्य

सहायक अभियती 0 नगर परिषद, आदित्यपुर

परमिट संख्या: 1305

दिनांक: 21.6·16

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1688 (पुराना) 587 खाता सं०. (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 365.98 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञपिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबधंन सं0 AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री कौषलेष कुमार सहायक अभियंता एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1st Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शत्तों पर दी जाती है

- भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- 2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।
- भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
- 4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिष्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना / प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की रिथति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राव्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञाप्तीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
- 5. भवन निर्माणकर्त्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगें।
- 6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग / भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञातिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- 7. भवन निर्माण में भवन Front 3.51 मीo Rear 1.80 मीo Side 1- 1.52 मीo तथा Side 2- 1.52 मीo छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 6.10 मीo Ground Coverage 55.44 %, F.A.R 1.22 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्यनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मीo का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 8 सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु0 अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन रथल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगें साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपरथापित करना अनिवार्य होगा।
- 9 नगर परिषद् के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञपिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवष्यक होगा।
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D.

- 11. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन0बी0सी0 दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12 निर्माण कार्य के आरम्म होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञातिघारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।
- 13. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

- 14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसाीति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को
- उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा। 16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-रवामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न
- 17. निर्माणकर्त्ता / संवर्धन / रथलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलडिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(V) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस
- 18. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राक्धान रखना अनिवार्य होगा। 19. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम,बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एंव दूरभाष सं०, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित क्षेत्रफल,नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एंव भवन प्लान संख्या, निमार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट रवीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा रवीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement , Lift, Fire Fighting system, पेयजल एव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एंव जल आपुर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों/उपस्करों के विवरण सहित)स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क़ेता को स्वीकृत भवन प्लान
- 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- विकासकर्ता/ संवर्धन/ स्थलधारी को झारखण्ड आप्टमेन्ट सम्पति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा। 22 माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि
- पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान 23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांरण हेतु
- सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति खतः रद्ध माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश खतः निरस्त समझा जायेगा। 24
- किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगें। भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो 25
- भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा। 26.
- 27.
- सेवाकर एव वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। 28
- परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपरथापित करना अनिवार्य होगा।

भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वितीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि

सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेष रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की

कनिय अभियंता नगर परिषद्, आदित्यपुर

ज्ञापांक

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत

कार्यपालक दायिकारी नगर परिषद्, आदित्यपुर

नगर परिषद्, आदित्यपुर

परमिट संख्या: 1306

दिनांक: 21.6.1B

प्रेषित,

M/s Technocluture Building Centre Pvt.Ltd. Project Manager. Mr Dhirendra Kumar Singh S/o Inderadeo Singh Ashiana Trade Centre, 5th Floor, Room No 518,519, Adityapur-1

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 1688 (पुराना) 587 खाता सं०. (नया) 61 (पुराना) 19 मौजा : कुलुपटांगा , थाना सं० 130 रकवा In this Plan 365.98 M² पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 195 दिनांक 19.02.15 ,आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 279/एडीए दिनांक 07.04.2015 एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 33 दिनांक 10.01.15 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। याचित राशि और लेवर सेस जमा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञपिधारी अभियंता श्री संजय कुमार जिनका निबधंन सं0 AMC-E/29 है। जमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र मार्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री कौषलेष कुमार सहायक अभियंता एंव श्री डेविड औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर की गई है तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एंव कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Ground Floor + 1[#] Floor (आवासीय) के भवन प्लान की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शत्तों पर दी जाती है

- भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वाधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- 2. भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।
- 3. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेंन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगें। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
- 4. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्ति करेगें बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना / प्रकृति में विचलन नहीं करेगें विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्राव्धानों के अनुसार उक्त भवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञाप्तीधारी अभियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
- 5. भवन निर्माणकर्त्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञारिाधारी अभियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगें । स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगें ।
- 6. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग / भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता की भी होगी।
- 7. भवन निर्माण में भवन Front 3.51 मीo Rear 1.80 मीo Side 1- 1.52 मीo तथा Side 2- 1.52 मीo छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की ऊँचाई स्वीकृत 6.10 मीo Ground Coverage 55.44 % F.A.R 1.22 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार म्यनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पिछे 2.5 मीo का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 8 सरकार / नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भुमि तथा मकान का उचित मुआवजा भु0 अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा / झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगें तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगें साथ ही प्रदर्श सुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सक्षम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगें तथा इसकी सूचना कार्यालय को देगें साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपरथापित करना अनिवार्य होगा।
- 9 नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता का होगा। चूँकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगें तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवष्यक होगा।
- 10. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगें इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्त्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।
 - (A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D
- 11. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन0बी0सी0 दिशानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
- 12 निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीख/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञातिघारी अभियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह स्वीकृति रद्ध कर दिया जायेगा।
- 13. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

- 14. प्रत्येक तल पर पर्याप्त धमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसांति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्धान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को
- उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा। 16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियामानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy
- Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के भवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो मू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगें तथा न 17. निर्माणकत्तां/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में बिलडिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य
- सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिपट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(V) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस 18.
- भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्राक्धान रखना अनिवार्य होगा। निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम,बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एव दूरमाष संव, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट में कुल निर्मित 19. क्षेत्रफल,नगर परिषद द्वारा नक्शा स्वीकृत करने की तिथि एंव भवन प्लान संख्या, निमार्ण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एंव प्लॉट स्वीकृत भवन प्लान का नक्शा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा स्वीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement , Lift, Fire Fighting system, पेयजल एंव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एंव जल आपुर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयत्रों / उपस्करों के विवरण सहित)स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान
- 20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। ।
- 21 विकासकर्ता/संबर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा। 22 माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता अथवा वैसी अन्य भुमि जो भवन निमार्ण हेतु वर्जित हो भूमि आदि
- पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान
- 23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांरण हेतु सुसंगत प्राव्धानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्ध हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसा तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्ध माना जायेगा। सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर 24
- किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति खयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगें। 25.
- भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचानात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रमावी होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश खतः निरस्त हो जायेगा। 26.
- भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा। 27.
- सेवाकर एव वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। 28. जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा
- 29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपरथापित करना अनिवार्य होगा।

भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा वित्तीय संपोषण से पूर्व अपने स्तर से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तिय घाटे के लिएे नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि

सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेष रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की

कनिय अभियंता नगर परिषद्, आदित्यपुर

गिर परिषद, आदित्यपुर

1306 ज्ञापांक

प्रतिलिपि : संजय कुमार सिंह अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत दिनांक 21.06 ·/6

कार्यपालक नगर परिषद्, आदित्यपुर 25.4.16

कार्यपालक नगर परिषद्, आदित्यपुर

पदमविकारी,



CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS



Ministry of Finance - Department of Revenue

FORM ST-2

Shri/Ms. TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PRIVATE LIMITED, ROOM NO.-417 & 419, FOURTH FLOOR, ASHIANA TOWER, EXHIBITION ROAD, PATNA, BIHAR-800001 having undertaken to comply with the conditions prescribed in Chapter V of the Finance Act, 1994 read with the Service Tax Rules, 1994, and any orders issued thereunder is hereby certified to have been registered with the Central Excise Department. The Service Tax Code and other details are mentioned hereunder.

	Name :	TECHNOCULTURE BUIL	DING CENTRE PRI	VATE LIMITE	ED
	Address :	ROOM NO417 & 419,FC PATNA,BIHAR-800001	URTH FLOOR, ASH	HIANA TOWE	ER, EXHIBITION ROAD,
	PAN No :	AABCT9952A			
Name	as in PAN :	TECHNOCULTURE BUIL	DING CENTRE PRI	VATE LIMITE	ED
Nature of re	gistration :	Centralized Registration for	or more than one pre	mises	
Service Tax Code(F	Registration	AABCT9952ASD001			
	Number) :				
Taxable	e services :	Rent-a-cab scheme opera Construction services othe buildings or civil structures vice, Construction of resid	er than residential co s, Transport of goods	mplex, inclue by road/goo	ding commercial/industria
DDRESS OF BUISN	ESS PREM	ISES			
Name Of Premises	-	ASHIANA TOWER	Flat / Door /		ROOM NO417 & 419,FOURTH FLOOR
	eet / Lane :	EXHIBITION ROAD		rea / Lane :	
Block / Taluk / Su	Town :			ost Office :	BANKIPUR
City	y / District :	PATNA	State / Union		BIHAR
	PIN :	800001		Number-1 :	06122320456
Phone	Number-2 :		Fax	Number-1 :	
	Number 2 :		Emai	I Address :	corptaxes@gmail.com
Prem	ises Code :	120117A001			
ddress of all the pren	nises from v	where taxable services an	e provided or inter	nded to be p	provided
Name Of Premises/ Building :	MAHULI TC	WER	Flat / Door / Block No:	FIRST FLO	OR
Road / Street / Lane :		ABOVE BANK OF INDIA	Village / Area / Lane :		
Block / Taluk / Sub- Division / Town :			Post Office :	NAWADA	
City / District :	ARA		State / Union Territory :	BIHAR	_
PIN :	802301		Phone Number-1 :	748853525	b
Phone Number-2 :			Fax Number-1 :		
Fax Number-2 :			Email Address :	ara@vastu-	vihar.com
Premises Code :	120117A08				
Taxable services :	services oth tures, Trans	scheme operator Service, M er than residential complex port of goods by road/good , Works contract service	, including commerc	ial/industrial l	buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	MAYA ENC		Flat / Door / Block No:	FIRST FLO	
Road / Street / Lane :	MIDDLE S E	3 GORAI ROAD	Village / Area /	OLDIMAI	HOUSE
					Page 1 of 14

		Lane :	
Block / Taluk / Sub-	ASANSOL	Post Office :	ASANSOL
Division / Town :		i ost onice .	
City / District :	ASANSOL	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	713301	Phone Number-1 :	08443915984
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	asansol@vastuvihar.in
Premises Code :			
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	SAI COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	NEW AREA, M.G ROAD, FRONT OF H P PETROLPUMP	Village / Area / Lane :	AURANGABAD
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	AURANGABAD	Post Office :	AURANGABAD
City / District :	AURANGABAD	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	824101	Phone Number-1	9386256157
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.aurangabad@gmail.com
			· · ·
Premises Code : Taxable services :	120117A087 Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex		
		, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Taxable services : Name Of Premises/	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	k, including commerc ls transport agency s Flat / Door /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor
Taxable services : Name Of Premises/ Building :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK	k, including commerc Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub-	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK	r, including commerc Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR BEGUSARAI BEGUSARAI BIHAR
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI	r, including commerc Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR BEGUSARAI BEGUSARAI
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI BEGUSARAI	R, including commerc Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR BEGUSARAI BEGUSARAI BIHAR 7488048703
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI BEGUSARAI 851117	r, including commerc Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR BEGUSARAI BEGUSARAI BIHAR
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI BEGUSARAI	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitments, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR BEGUSARAI BIHAR 7488048703 begusarai@vastuvihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc-
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI BEGUSARAI 851117 120117A088 Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitments, including commerce Is transport agency s Flat / Door /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR BEGUSARAI BIHAR 7488048703 begusarai@vastuvihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc-
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI BEGUSARAI 851117 120117A088 Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitments, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR BEGUSARAI BIHAR 7488048703 begusarai@vastuvihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI BEGUSARAI 851117 120117A088 Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service SIDDARTH TRADERS JAI SHANTI NAGAR, SUPRIYA	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitment , including commerc Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR BEGUSARAI BEGUSARAI BIHAR 7488048703 begusarai@vastuvihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor SECOND FLOOR
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub-	Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service J K PALACE NEAR KAPASYA CHOWK BEGUSARAI BEGUSARAI 851117 120117A088 Rent-a-cab scheme operator Service, N services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service SIDDARTH TRADERS JAI SHANTI NAGAR, SUPRIYA CINEMA ROAD	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerc Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR BEGUSARAI BEGUSARAI BIHAR 7488048703 begusarai@vastuvihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor SECOND FLOOR ABOVE UNION BANK,BETTIAH

Fax Number-2 : Premises Code :			
		Email Address :	vastu.bhagalpur@gmail.com
Tayahla asmilasa i	120117A089		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex, tures, Transport of goods by road/goods plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR	Flat / Door / Block No:	PLOT NO-362/3855
Road / Street / Lane :	OPP. BHUBANESWAR MUNICIPAL CORPORATION	Village / Area / Lane :	GAUTAM NAGAR
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	BHUBANESWAR	Post Office :	KALPANA
City / District :	BHUBANESWAR	State / Union Territory :	ORISSA
PIN :	751014	Phone Number-1	9337477770
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	bbsr@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A090		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex, tures, Transport of goods by road/goods plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/	MACHHLI MARKET	Flat / Door /	RAMCHANDARPUR
Building : Road / Street / Lane :	RAMCHANDARPUR (NEAR HDFC	Block No: Village / Area /	BIHARSHARIF
	BANK)	Lane :	
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	NALANDA	Post Office :	BAZAR BRANCH HEAD OFFICE
City / District :	NALANDA	State / Union Territory :	
PIN :	803101	Phone Number-1	7488535295
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :	1001171001	Email Address :	vv_sharif@yahoo.in
Premises Code :			
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex, tures, Transport of goods by road/goods plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	CITY CENTRE	Flat / Door / Block No:	PLOT NO-HD-15,FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	SECTOR-4	Village / Area / Lane :	BOKARO STEEL CITY
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	BOKARO STEEL CITY	Post Office :	SECTOR-4
City / District :	BOKARO	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	827004	Phone Number-1	065422233305
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	bokaro.vastuvihar@gmail.com
Premises Code :	120117A092		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex,		

Name OF Freimses/	TECHNOCULTURE BUILDING	Flat / Door /	FIRST FLOOR
Building :	CENTRE PRIVATE LIMITED	Block No:	
Road / Street / Lane :	VIR KUNWAR SINGH MARKET, NEAR ICICI BANK	Village / Area / Lane :	P P ROAD
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	BUXOR	Post Office :	BUXOR
City / District :	BUXOR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	802101	Phone Number-1	7488535203
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	buxor@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A093	-	I
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, I services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerci	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR	Flat / Door / Block No:	B-90
Road / Street / Lane :	LANE NO-9	Village / Area /	GURUDHAM CHAURAHA
Block / Taluk / Sub-	VARANASI	Lane : Post Office :	LANKA
Division / Town : City / District :	VARANASI		UTTAR PRADESH
PIN :	221005	Territory : Phone Number-1	7488535295
Dhana Numhar 0 i		:	
Phone Number-2 : Fax Number-2 :		Fax Number-1 :	uependey@vectu viber.com
Premises Code :	120117A094	Email Address :	uspandey@vastu-vihar.com
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, I		it/supply agency service, Construction
	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service		ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good	ls transport agency s	ial/industrial buildings or civil struc-
Building :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX	Is transport agency s	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR
Building :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX	Is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub-	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR CHAPRA
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK CHAPRA	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR CHAPRA CHAPRA
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK CHAPRA CHAPRA	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR CHAPRA CHAPRA BIHAR
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK CHAPRA CHAPRA	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR CHAPRA CHAPRA BIHAR
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK CHAPRA CHAPRA 841301 120117A095	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR CHAPRA BIHAR 7488538108 vastuviharchapra@gmail.com
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK CHAPRA CHAPRA 841301	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer c, including commerci	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR CHAPRA CHAPRA BIHAR 7488538108 vastuviharchapra@gmail.com nt/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc-
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code :	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK CHAPRA CHAPRA 841301 120117A095 Rent-a-cab scheme operator Service, I services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer c, including commerci	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con FIRST FLOOR CHAPRA CHAPRA BIHAR 7488538108 vastuviharchapra@gmail.com nt/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc-
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/	services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GANGA GOPAL COMPLEX MUNICIPAL CHOWK CHAPRA CHAPRA 841301 120117A095 Rent-a-cab scheme operator Service, I services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer c, including commerci Is transport agency s	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor FIRST FLOOR CHAPRA CHAPRA BIHAR 7488538108 vastuviharchapra@gmail.com ht/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor

Address of all the pren	nises from where taxable services ar	-	nded to be provided
		Territory :	
PIN :	826001	Phone Number-1 :	09334920696
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	bokaro.vastuvihar@gmail.com
Premises Code :	120117A096		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/		Flat / Door /	DONAR ROAD
Building :	VASTU VIHAR,ABOVE SBI BANK	Block No:	DONAR ROAD
Road / Street / Lane :	DONAR ROAD,OPPOSITE HOLI CROSS PUBLIC SCHOOL	Village / Area / Lane :	DARBHANGA
Block / Taluk / Sub-	DARBHANGA	Post Office :	LALBAG
Division / Town :			
City / District :	DARBHANGA	State / Union Territory :	
PIN :	846004	Phone Number-1 :	7488535255
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.darbhanga@gmail.com
Premises Code :	120117A097		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR	Flat / Door / Block No:	B2/20,NON COMPANY, A.K.BITHI
Road / Street / Lane :		Village / Area / Lane :	CITY CENTRE
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	DURGAPUR	Post Office :	DURGAPUR
City / District :	BARDHAMAN	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	713216	Phone Number-1	07488538109
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	durgapur@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A098		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential com-
Name Of Premises/ Building :	QUAISAR HOUSE	Flat / Door / Block No:	OPPOSITE GAYA CLUB
Road / Street / Lane :		Village / Area / Lane :	GAYA
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	GAYA	Post Office :	GAYA
City / District :	GAYA	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	823001	Phone Number-1	9308568059
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastuvihar.gya@gmail.com
Premises Code :	120117A099		

Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	x, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
			1
Name Of Premises/ Building :	R BHAWAN	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR SADAR THANA	Village / Area / Lane :	RAMASHISH CHOWK
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	HAJIPUR	Post Office :	GPO HAJIPUR
City / District :	HAJIPUR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	844101	Phone Number-1	9204316137
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.hajipur@gmail.com
Premises Code :	120117A100		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	x, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PRIVATE LIMITED	Flat / Door / Block No:	MUKUNDGANJ
Road / Street / Lane :	VILL-NAYA KHAP	Village / Area / Lane :	MUFFASIL
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	HAZARIBAG	Post Office :	BAVANBHAY
City / District :	HAZARIBAG	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	825301	Phone Number-1 :	9973330025
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vv.hbag@gmail.com
Premises Code :	120117A101		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	x, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	B-20	Flat / Door / Block No:	THIRD FLOOR
Road / Street / Lane :	CO-OPERATIVE HOUSING SOCI- ETY LIMITED	Village / Area / Lane :	METROPOLITAN (NEAR SPRING CLUB)
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	KOLKATA	Post Office :	NOWBHANGA
City / District :	KOLKATA	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	700105	Phone Number-1	7488538105
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	kolkata@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A102		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	x, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of December (ASHIANA TRADE CENTRE	El=4 / D = = /	518,519,5TH FLOOR

Road / Street / Lane :	ADITYAPUR	Village / Area /	ADITYAPUR
Noad / Otreet / Lane .		Lane :	
Block / Taluk / Sub- Division / Town :		Post Office :	ADITYAPUR
City / District :	SARAIKELA KHARSWAN	State / Union Territory :	JHARKHAND
PIN :	831013	Phone Number-1 :	06576531511
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastuvihar.jsr@gmail.com
Premises Code :	120117A103		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	k, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	HUDHA TRADE CENTRE	Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR
Road / Street / Lane :	NEAR SBI BANK	Village / Area / Lane :	BHAGWANPUR CHOWK
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	MUZAFFARPUR	Post Office :	BHAGWANPUR
City / District :	MUZAFFARPUR	State / Union Territory :	
PIN :	842001	Phone Number-1 :	7488538108
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services :	120117A104 Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex	Email Address : Manpower recruitmer	
Premises Code :	Rent-a-cab scheme operator Service,	Email Address : Manpower recruitmer	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc-
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door /	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area /	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor 2D
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub-	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory :	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con 2D KANTATOLI
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 :	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI RANCHI	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 :	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY JHARKHAND 06512530883
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI RANCHI 834001	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 :	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY JHARKHAND
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI RANCHI 834001 120117A105 Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerc	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY JHARKHAND 06512530883 corptaxes@gmail.com
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI RANCHI 834001 120117A105 Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service VASTU VIHAR, BHARAT TOWER	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No:	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY JHARKHAND 06512530883 corptaxes@gmail.com nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor ABOVE HDFC BANK
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Fax Number-2 : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI 834001 120117A105 Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service VASTU VIHAR, BHARAT TOWER JAIL CHOWK	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane :	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY JHARKHAND 06512530883 corptaxes@gmail.com nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor ABOVE HDFC BANK PURNEA
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Fax Number-2 : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI RANCHI 834001 120117A105 Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service VASTU VIHAR, BHARAT TOWER JAIL CHOWK PURNEA	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office :	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY JHARKHAND 06512530883 corptaxes@gmail.com nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con ABOVE HDFC BANK PURNEA PURNEA
Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Fax Number-2 : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service UNIHEIGHTS COMPLEX HAZARIBAGH ROAD RANCHI 834001 120117A105 Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service VASTU VIHAR, BHARAT TOWER JAIL CHOWK	Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerc ds transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane :	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor 2D KANTATOLI KANTATOLI BENGALI COLONY JHARKHAND 06512530883 corptaxes@gmail.com nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor ABOVE HDFC BANK PURNEA PURNEA CHANDIGARH

Address of all the pren	nises from where taxable services ar	e provided or inter	nded to be provided
		:	
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	purnea@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A106		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR, ADITYA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	2ND FLOOR, ABOVE JEEVAN JYOTI HOSPITAL
Road / Street / Lane :	MIRCHAI BARI CHOWK	Village / Area / Lane :	KATIHAR
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	KATIHAR	Post Office :	KATIHAR
City / District :	KATIHAR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	854105	Phone Number-1 :	7488535250
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	purnea@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A107		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR, SAHU MARKET	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	GANDHI PATH, BESIDE BSNL OF- FICE	Village / Area / Lane :	SAHARSA
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	SAHARSA	Post Office :	SAHARSA
City / District :	SAHARSA	State / Union Territory :	
PIN :	852208	Phone Number-1 :	7488538182
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	saharsa@vastuvihar.in
Premises Code : Taxable services :	120117A108 Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/	vastu vihar	Flat / Door /	suman Market
Building :		Block No:	
Road / Street / Lane :	Gourakshini	Village / Area / Lane :	Mohalla Gourakshini
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	sasaram	Post Office :	sasaram sadar
City / District :	ROHTAS	State / Union Territory :	
PIN :	821115	Phone Number-1	7488424326
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :	4004474400	Email Address :	sasaram@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A109	A	
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good	, including commerc	

	plex service, Works contract service		
	1		1
Name Of Premises/ Building :	VASTU VIHAR,OPP. AKASHWANI BHAWAN	Flat / Door / Block No:	0
Road / Street / Lane :	2ND MILE SEVOKE ROAD	Village / Area / Lane :	SILIGUR
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	SILIGUR	Post Office :	SEVOKE ROAD
City / District :	DARJEELING	State / Union Territory :	WEST BENGAL
PIN :	734001	Phone Number-1	8388851485
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.bhagalpur@gmail.com
Premises Code :	120117A110		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential comple tures, Transport of goods by road/goo plex service, Works contract service	x, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	DAS COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR
Road / Street / Lane :	VIP CHOWK	Village / Area / Lane :	DEOGHAR
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	DEOGHAR	Post Office :	DEOGHAR
City / District :	DEOGHAR	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	814112	Phone Number-1 :	7488538110
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	deoghar@vastu-vihar.com
Premises Code :	120117A111		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential comple tures, Transport of goods by road/goo plex service, Works contract service	x, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	AMARLEKHA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	DEY MARKET
Road / Street / Lane :	DEY MARKET, HOSPITAL ROAD	Village / Area / Lane :	KISHANGANJ
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	KISHANGANJ	Post Office :	KISHANGANJ
City / District :	KISHANGANJ	State / Union Territory :	BIHAR
PIN :	855107	Phone Number-1 :	7488538110
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	kishanganj@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A112		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, services other than residential comple tures, Transport of goods by road/goo plex service, Works contract service	x, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/	VASTU VIHAR OFFICE	Flat / Door /	ABOVE INDIAN BANK
Building :		Block No:	

Block / Taluk / Sub-	MADHUBANI	Post Office :	MADHUBANI
Division / Town :			
City / District :	MADHUBANI	State / Union Territory :	
PIN :	847211	Phone Number-1	9386256105
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	madhubani@vastuvihar.in
Premises Code :	120117A113		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerci	ial/industrial buildings or civil struc-
Name Of Premises/ Building :	CHAUBEY TOLA	Flat / Door / Block No:	DANKINGANJ
Road / Street / Lane :	DANKINGANJ,NEAR SBI HEAD BRANCH	Village / Area / Lane :	MIRZAPUR
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	MIRZAPUR	Post Office :	MIRZAPUR
City / District :	MIRZAPUR	State / Union	BIHAR
eny, bistrict.		Territory :	
PIN :	231001	Phone Number-1	9369997221
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :	
Fax Number-2 :		Email Address :	mirzapur@vastuvihar.in
	1		
Premises Code : Taxable services :	120117A114 Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerci	ial/industrial buildings or civil struc-
Taxable services : Name Of Premises/	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good	, including commerci s transport agency s Flat / Door /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co
Taxable services : Name Of Premises/ Building :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR 7488528332
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN 845401	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerci	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR 7488528332 motihari@vastu-vihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc-
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN 845401 120117A115 Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerci s transport agency s	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR 7488528332 motihari@vastu-vihar.in nt/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc-
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN 845401 120117A115 Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area /	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR 7488528332 motihari@vastu-vihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub-	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN 845401 120117A115 Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service ASHOKA PALACE	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer , including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No:	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI BIHAR 7488528332 motihari@vastu-vihar.in nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN 845401 120117A115 Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service ASHOKA PALACE NEAR DILIP MAHAL,PURAB SARAY	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Anpower recruitmer, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR 7488528332 motihari@vastu-vihar.in nt/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential co SECOND FLOOR MUNGER
Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Fax Number-2 : Taxable services : Name Of Premises/ Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service JAI AMBE COMPLEX RAJA BAZAR, KACHEHARI ROAD MOTIHARI EAST CHAMPARAN 845401 120117A115 Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service ASHOKA PALACE NEAR DILIP MAHAL,PURAB SARAY MUNGER	, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : /anpower recruitmer, including commerci s transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area / Lane : Post Office :	ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential SECOND FLOOR MOTIHARI MOTIHARI BIHAR 7488528332 motihari@vastu-vihar.in nt/supply agency service, Construc- ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential SECOND FLOOR MUNGER MUNGER

Fax Number-2 :		Email Address :	munger@vastuvihar.in	
Premises Code :	120117A116	1		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service			
Name Of Premises/	SINGH BUILDING	Flat / Door /	FIRST FLOOR	
Building :		Block No:		
Road / Street / Lane :	ABOVE BANK OF BARODA, JHANDA CHOWK	Village / Area / Lane :	NEAR RAMGARH CANTT	
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	RAMGARH	Post Office :	RAMGARH	
City / District :	RAMGARH	State / Union Territory :	JHARKHAND	
PIN :	829122	Phone Number-1	7488535226	
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :		
Fax Number-2 :		Email Address :	ramgarh@vastuvihar.in	
Premises Code :	120117A117		3. 2.	
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service			
Name Of Premises/ Building :	SIKARIYA COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR	
Road / Street / Lane :	NEAR ICICI BANK, OPP. TOWN THANA	Village / Area / Lane :	MAIN ROAD, RAXAUL	
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	RAXAUL	Post Office :	RAXAUL	
City / District :	EAST CHAMPARAN	State / Union Territory :	BIHAR	
PIN :	845305	Phone Number-1	9386256147	
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :		
Fax Number-2 :		Email Address :	raxaul@vastuvihar.in	
Premises Code :	120117A118			
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service			
Name Of Premises/ Building :	PATNAIK COMPLEX	Flat / Door / Block No:	FIRST FLOOR	
Road / Street / Lane :	NEAR KHANA KHAZANA UDIT	Village / Area / Lane :	ROURKELA,NAGAR,	
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	ROURKELA	Post Office :	UDIT NAGAR	
City / District :	SUNDERGARH	State / Union Territory :	ORISSA	
PIN :	769012	Phone Number-1	9338377774	
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :		
Fax Number-2 :		Email Address :	raurkela@vastuvihar.in	
Premises Code :	120117A119			
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex tures, Transport of goods by road/goods plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-	

	RUBI MANSION		FIRST FLOOR		
Building :		Block No:			
Road / Street / Lane :	NEAR B. R. B. COLLEGE	Village / Area / Lane :	MOHANPUR ROAD		
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	SAMASTIPUR	Post Office :	SAMASTIPUR		
City / District :	SAMASTIPUR	State / Union Territory :	BIHAR		
PIN :	848101	Phone Number-1	9386256139		
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :			
Fax Number-2 :		Email Address :	samastipur@vastuvihar.in		
Premises Code :	120117A120				
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service				
Name Of Premises/	MAHARAJA HOTEL	Elat / Dear /	BABUNIA MORE		
Name Of Premises/ Building :		Flat / Door / Block No:			
Road / Street / Lane :	RAJENDRA PATH,	Village / Area / Lane :	RAJENDRA PATH,		
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	SIWAN	Post Office :	SIWAN		
City / District :	SIWAN	State / Union Territory :	BIHAR		
PIN :	841226	Phone Number-1	7488538145		
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :			
Fax Number-2 :		Email Address :	siwan@vastu-vihar.com		
Premises Code :					
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, I services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good	k, including commerci	nt/supply agency service, Construction ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential cor		
	plex service, Works contract service				
Name Of Premises/ Building :		Flat / Door / Block No:	SECOND FLOOR		
Building :	plex service, Works contract service				
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub-	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD	Block No: Village / Area /			
Building : Road / Street / Lane :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union	SUPAUL		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL	Block No: Village / Area / Lane : Post Office :	SUPAUL		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 :	SUPAUL SUPAUL BIHAR		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 :	SUPAUL SUPAUL BIHAR 9386256143		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 :	SUPAUL SUPAUL BIHAR		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL SUPAUL 852131	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer (, including commerci	SUPAUL SUPAUL BIHAR 9386256143 supaul@vastuvihar.in nt/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc-		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL SUPAUL 852131 120117A122 Rent-a-cab scheme operator Service, I services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer c, including commerci Is transport agency s	SUPAUL SUPAUL BIHAR 9386256143 supaul@vastuvihar.in nt/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc-		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL SUPAUL 852131 120117A122 Rent-a-cab scheme operator Service, I services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer c, including commerci is transport agency s Flat / Door / Block No: Village / Area /	SUPAUL SUPAUL BIHAR 9386256143 supaul@vastuvihar.in nt/supply agency service, Constructio al/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con		
Building : Road / Street / Lane : Block / Taluk / Sub- Division / Town : City / District : PIN : Phone Number-2 : Fax Number-2 : Premises Code : Taxable services : Name Of Premises/ Building :	plex service, Works contract service ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA KAMLA MARKET,STATION ROAD SUPAUL SUPAUL 852131 120117A122 Rent-a-cab scheme operator Service, I services other than residential complex tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service GRAND CHANDRA COMPLEX FRAZER ROAD	Block No: Village / Area / Lane : Post Office : State / Union Territory : Phone Number-1 : Fax Number-1 : Email Address : Manpower recruitmer c, including commerci is transport agency s Flat / Door / Block No:	SUPAUL SUPAUL BIHAR 9386256143 supaul@vastuvihar.in nt/supply agency service, Constructio ial/industrial buildings or civil struc- ervice, Construction of residential con ROOM NO-B/2,THIRD FLOOR		

Address of all the pren	nises from where taxable services ar	-	nded to be provided		
		Territory :			
PIN :	800001	Phone Number-1 :	06126450735		
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :			
Fax Number-2 :		Email Address :	vv.jsr@inbox.com		
Premises Code :	120117A123				
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, M services other than residential complex, tures, Transport of goods by road/good plex service, Works contract service	, including commerc	ial/industrial buildings or civil struc-		
Name Of Premises/ Building :		Flat / Door / Block No:			
Road / Street / Lane :	NEAR VANDANA HOTEL, PALI ROAD	Village / Area / Lane :	DEHRI ON SON		
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	DEHRI ON SON	Post Office :	DEHR		
City / District :	ROHTAS	State / Union Territory :	BIHAR		
PIN :	821305	Phone Number-1	9546248290		
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :			
Fax Number-2 :		Email Address :	dehrionsone@vastuvihar.in		
Premises Code :	120117A124				
Taxable services :	: Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service				
Name Of Premises/	GANPATI COMPLEX	Elet / Deer /	SECOND FLOOR		
Building :		Block No:			
Road / Street / Lane :	PATAL BABU ROAD	Village / Area / Lane :	BHAGALPUR		
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	BHAGALPUR	Post Office :	BHAGALPUR		
City / District :	BHAGALPUR	State / Union Territory :			
PIN :	812001	Phone Number-1 :	7488538105		
Phone Number-2 :		Fax Number-1 :			
Fax Number-2 :		Email Address :	vastu.bhagalpur@gmail.com		
Premises Code :	120117A125				
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential complex service, Works contract service				
	<i></i>				
	es or office paying service tax under of rule 4 of the Service Tax Rules,199		or centralised accounting under		
Name Of Premises/ Building :	ASHIANA TOWER	Flat / Door / Block No :	ROOM NO-417 & 419,FOURTH FLOOR		
Road / Street / Lane :	EXHIBITION ROAD	Village / Area / Lane :	PATNA		
Block / Taluk / Sub- Division / Town :	PATNA	Post Office :	BANKIPUR		
City / District :	PATNA	State / Union Territory :	BIHAR		
PIN :	800001	Phone Number-1	06122320456		

Phone Number-2 :

_Page 13 of 14__

Address of the premises or office paying service tax under centralised billing or centralised accounting under sub-rule (2) and (3A) of rule 4 of the Service Tax Rules, 1994

Fax Number 2 :		Email Address :	corptaxes@gmail.com
Premises Code :	120117A126		
Taxable services :	Rent-a-cab scheme operator Service, Manpower recruitment/supply agency service, Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil struc- tures, Transport of goods by road/goods transport agency service, Construction of residential com- plex service, Works contract service		

This Certificate is issued incorporating the changes intimated by the applicant and the previous certificate of registration bearing Registration NumberAABCT9952ASD001 Issued on 09/03/2011 stand cancelled.

SI No	Types of Services	Accounting Codes		
		Tax Collection	Other Receipts (Interest)	Penalties
1	Rent-a-cab scheme operator Service	00440048	00440049	00441307
2	Manpower recruitment/supply agency service	00440060	00440061	00441311
3	Construction services other than residential complex, including commercial/industrial buildings or civil structures	00440290	00440291	00441399
4	Transport of goods by road/goods transport agency service	00440262	00440263	00441392
5	Construction of residential complex service	00440334	00440335	00441438
6	Works contract service	00440410	00440411	00441457

CESSES

1	EDUCATION CESS	00440298	00440299	00441486
2	SECONDARY AND HIGHER EDUCATION CESS	00440426	00440427	00441487

Note :

1. In case the registrant starts providing any other taxable service (other than those mentioned above), he shall intimate the department.

2. In case the registrant starts billing from other premises (other than those mentioned above), he shall intimate the department.

3. These intimations and any other information which registrant wishes to bring to the notice of the department can be submitted on-line by the registrant after logging on to web-site.

4. This registration certificate is not transferable.

5. List of Accounting Codes is Enclosed. These may invariably be furnished in the challan at the time of making payment of service tax.

Date of Issue of Original ST-2 : 09/03/2011 Date of Last Amendment of ST-2 : 08/10/2013

Name and Signature of Central Excise Officer With Official Seal

CC (by e-mail) To -

(1) The Pay And Accounts Officer (PATNA) (2) The Superintendent of Central Excise (SERVICE TAX BANKIPUR-II)